

पंजीय

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि समाप्ति का दिनांक, वर्ष 2018 (1-1-2018 To 31-12-2018)

वर्तमान धारित पर उप नियंत्रक

वर्तमान धारित 1,04,900 + 1A अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो जिला टिकारपुर, वर्ष 2018 (1-1-2018 To 31-12-2018)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यो		भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया **छोटी, पेट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्त
	(1)	(2)						

1. जिला - अयोध्या नरसील - कुबुर ग्राम - अंकारा पटवारी - टिकारपुर 39	FLAT No. 15-B Block - B Bewara Kung Koyal Road, 39	-	34 खंड 2,65,000/- निष्पन्न खंड 30,00,000/-	34 खंड 6,60,000/- निष्पन्न खंड 90,00,000/-	स्वयं अर्जित और धारित वर्ष 28-5-2003 अर्जित और धारित	34 धो 25-06-97	34 खंड वर्ष 28-5-2003 अर्जित और धारित	34 खंड वर्ष 28-5-2003 अर्जित और धारित	अर्जित और धारित
---	--	---	---	---	---	----------------	---	---	-----------------

* जहां लागू न हो कार दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।
*** इसमें अल्पकालीन पेट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के परीक्षा सफलता से यह उपरोक्त वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयवां उस विवरण में मिली या उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पेट्टे या बंधक पर उपरोक्त द्वारा धारित सम्पत्ति का क्रम है।

हरनाम
नाम
पद
विभाग

W.K. Singh
Dist. Controller
Govt. Printing & Stationery
M.P., Jabalpur

फार्म
"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-18 की स्थिति में 31-12-18

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **SI. जितेंद्र सिंह जी**
- 2. वर्तमान धारित पद **श्री निदेशक रिजर्वेशन**
- 3. वर्तमान वेतन **1728000** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 July 19**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
आटे अंतोवडी इजरात रोड मुरझाह अंतोवडी मुहम्मद - 3 नरम-रॉलिंग (न. 5)	गृह आटे अंतोवडी आटे अंतोवडी मुहम्मद - 3 नरम-रॉलिंग न. 5	-	आटे अंतोवडी मुहम्मद - 3 नरम-रॉलिंग	द्वारा 6.7.95 आटे अंतोवडी मुहम्मद - 3 नरम-रॉलिंग आटे अंतोवडी मुहम्मद - 3 नरम-रॉलिंग आटे अंतोवडी मुहम्मद - 3	-	-

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम : **श्री निदेशक रिजर्वेशन**
 पद : **श्री निदेशक रिजर्वेशन**
 विभाग : **श्री निदेशक रिजर्वेशन**
Dist. N. 2000000000000
(N. 5)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी निर्दिष्ट के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-1988 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट सहायक

3. वर्तमान वेतन 36200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

* जहां लागू न हो क्राफ्ट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश राजस्व सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी निर्दिष्ट फॉर्म समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही तौर पर भरा कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: अशोक कुमार शर्मा
 नाम: अशोक कुमार शर्मा
 पद: असिस्टेंट सहायक
 विभाग: मुख्य अभियंता

फार्म 01-01-18 से 31-12-2018
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **एस.आर. शर्मा**
 2. वर्तमान धारित पद : **वरिष्ठ अधिकारी**

3. वर्तमान वेतन : **48100/-** - आर.सी. वेतनवृद्धि की तारीख : **01-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बालाघाट	बन	-	अनुमानित 50,00,000/-	आशुतोष पट्टे वसुधनि	विरासत	-	-

* जहां लागू न हो, ऊपर दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अस्पष्टताएँ पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : **एस.आर. शर्मा**
 नाम : **एस.आर. शर्मा**
 पद : **वरिष्ठ अधिकारी**
 विभाग : **उप निदेशक (आ.अ.अ.) सुडवाल**
बालाघाट

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/12/18 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के लाला चन्द डायरी
2. वर्तमान भारत पर स्हाधिक ग्रंथ - 31/18
3. वर्तमान वेतन 46,100 ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: *[Signature]*
 नाम: *[Name]*
 पद: *[Post]*
 विभाग: *[Department]*

* जहाँ लागू न हो क्राट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें कल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पालवी नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पूरावा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अधिकार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।

फार्म

01-01-2018 से

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2018 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

जयश्री शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक डीडी-2

3. वर्तमान वेतन

43500+DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो क्राद दीजिए।

** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्राप्त भूमी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहिने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

01.08.2019

नाम: श्रीमती जयश्री शर्मा

पद: सहायक डीडी-2

विभाग: शासकीय कर्मचारी भूधन विभाग

आधिकार (पृष्ठ)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2018 की स्थिति में - 31/2-2018,

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **राजानन्द आल्मी क**
 2. वर्तमान भारत पर **सहा-जरी-की**

3. वर्तमान चेतन :- 44800 = 20 अगली चेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो बात दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साभाग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सरनि की अवधि के परखात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर: **राजानन्द आल्मी क**
 नाम: **राजानन्द आल्मी क**
 पद: **सहा-जरी-की**
 विभाग: **शासकीय सेवा**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 से 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : उमेश कुमार

2. वर्तमान धारित पद : ए.ए.एस. वी.ए.सी.

3. वर्तमान वेतन : 43500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01-07-19

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Handwritten signature/initials

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : न्यूनतम वेतन राशिकीय सेवक (आ.आ.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि. की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौते दें।

हस्ताक्षर : Ukaxen
 नाम : उमेश कुमार
 पद : ए.ए.एस. वी.ए.सी.
 विभागा : शासकीय अधिकारी प्रशासन
जयपुर - 302001

फार्म

1-1-18 से 31-12-2018
की स्थिति में

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सरिता पचौरी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक एस-डी

3. वर्तमान वेतन

44800... अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
व्यावसायिक	घर	-	1900000	स्वयं	आरिथे-रा		


* यहाँ खाना न हो काट दोषिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें आन्विकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संप्रदायिक शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वास्तित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर



नाम

सरिता पचौरी

पद

सहायक एस-डी

विभाग

शांति: क्षेत्रीय मुख्यालय
व्यावसायिक

फार्म
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 11/12/2018 से 11/12/2018 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: अजय कुमार शर्मा
 2. वर्तमान धारित पर: सहायक ग्रेड III
 3. वर्तमान वेतन: 39800... अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01-7-19

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निल			

* जहां जगह न हो डाट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (अनुपल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: किशोरा 28/12/2019
 नाम: अजय कुमार शर्मा
 पद: सहायक ग्रेड III
 विभाग: शासकीय कर्मचारी भवन

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-70 की स्थिति में 31-12-18

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : जाम देवराज छेत्री
2. वर्तमान भारत पर अचल सम्पत्ति का विवरण
3. वर्तमान वेतन : A 2250/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योत		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योत	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

पिठे

जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संप्रदायगत सार्वजनिक सेवा (आन्तरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी तथा दृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अधि के पचास पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योत दें।

हस्ताक्षर : [Signature]
 नाम : जाम देवराज छेत्री
 पद : सहायक वेतन
 विभाग : श्रीलंका के विदेशीय मामलों

फार्म 11.2018 से 31.12.18 तक
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *अभिषिक्त मिर्जापुर*
2. वर्तमान भारत पर *अभिषिक्त मिर्जापुर*
3. वर्तमान वेतन *39,800* ... अगली श्रेणिवृद्धि की तारीख *01.07.2019*

(1) उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(2) सम्पत्ति का नाम तथा खोरा		(3) भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	(7) सम्पत्ति से वार्षिक आय	(8) अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						

इस्तावर *28.2.19*
 नाम : *अभिषिक्त मिर्जापुर*
 पद : *अभिषिक्त मिर्जापुर*
 विभाग : *अभिषिक्त मिर्जापुर*

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अ.व.स.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में राखी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्णन दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-19 से 31-12-2018 तक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **पुनाव कुमार डुबे**
2. वर्तमान भारत पर सहायक वरिष्ठ लेख
3. वर्तमान वेतन **₹. 37,500** ... आयी वेतनवृद्धि की तारीख. **D.L. - 07-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निशंक			

जहां लागू न हो कट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में शब्दी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अबला उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत सरकार अबल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर : **पुनाव कुमार डुबे** 28-02-19
 नाम : **पुनाव कुमार डुबे**
 पद : **सहायक वरिष्ठ लेख**
 विभाग : **शासक श्रेणीय सुडगालभ**
ठकालिभर (म.प्र.)

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-82 की स्थिति में"

31-12-2018 तक
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **राजिमा सिद्धवीर**
 2. वर्तमान धारित पद **सहायक डेप्टी-डी**

3. वर्तमान चैतन **37500** ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्पण की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

* जहाँ ग्राम न हो कोट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आजराण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्पण प्राप्त श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी निर्धारित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर: **R. S. S. S. S. S. S. S. S. S.** 28-02-19
 नाम: **राजिमा सिद्धवीर**
 पद: **सहायक डेप्टी-डी**
 विभाग: **डी.पी.ओ. कार्यालय**
जालिमपुर (म.प्र.)

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-18 से 31-12-18 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अटुल कुमार वर्मा**
2. वर्तमान धारित पद **सहायक इंजिनियर - 3**
3. वर्तमान वेतन **32100** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-2018**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अन्य

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन घट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनोक्षित है कि वह सेवा में पब्लिक नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **अटुल वर्मा 28-2-19**
 नाम: **अटुल कुमार वर्मा**
 पद: **सहायक इंजिनियर - 3**
 विभाग: **शासकीय इंजीनियरिंग विभाग**

फार्म

से 31.12.2018 तक

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती शारदा गुप्ता**
2. वर्तमान धारित पर **सहायक ग्रेड - 3**
3. वर्तमान वेतन **32100** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2018**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

हस्ताक्षर **Shondu Gupta** 28.2.19
 नाम : **शारदा गुप्ता**
 पद : **सहायक ग्रेड - 3**
 विभागा : **शा. श्रे. भु. सेवा**

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहिते की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-18 की स्थिति में 31-12-18

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री सी. एन. अर्जुन 2. वर्तमान धारित पद डी.एम. प्रो. III
3. वर्तमान वेतन 29600 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-19

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, क्राट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सध्यादेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर..... mb
 नाम: श्री सी. एन. अर्जुन
 पद: डी.एम. प्रो. III
 विभाग: श्री.एम. प्रो. III
श्री.एम. प्रो. III

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/18 से की स्थिति में 01/12/18

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पंजाब सिस्को

2. वर्तमान धारित पद

सं. व. व. जी

3. वर्तमान चेतन

28,400

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-19

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
अज्ञात	घर	-	10,00,000-00 (65 आर. आर.)	स्वयं-सहाय पर	-	MIL		पूर्व नियुक्ति

हस्ताक्षर: *[Signature]*
 नाम: *[Name]*
 पद: *[Post]*
 विभाग: *[Department]*

* जहाँ लागू न हो क्राट वीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश राजकीय सेवक (आ.क.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में राजकीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहौल की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अधिगत आयदा उसे विरासत में मिलती या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या भूभक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-18 की स्थिति में 31/12/18 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आरती स्वयंसेवा

2. वर्तमान धारित पद सहायक वजीर - बी

3. वर्तमान वेतन 26900 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-01-19

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो डाटा दोजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें करसुकारीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में शक्य नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाह यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के बर्णन दें।

इस्तावर : 28-2-19

नाम : आरती स्वयंसेवा

पद : सहायक वजीर - बी

विभाग : शांति टाउन - खालिदा

फार्म 1/18 असे 31/12/18
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: कांचा चौधन
 2. वर्तमान धारित पद: अ.ध. अ.स. - II

3. वर्तमान वेतन: 27000... अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महोत्तरी की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: *[Signature]*
 नाम: कांचा चौधन
 पद: अ.ध. अ.स. - II
 विभाग: आ.दे. उ.स. - II

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में 31/12/2018 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश सिंह सि सोनिया
2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट जे.एस.-3
3. वर्तमान वेतन ₹ 24,400/- आगती वेतनवृद्धि की तारीख 01-01-19

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है			

निर्णय

* जहाँ लागू न हो, डाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर: [Signature] 28/2/19
 नाम: राजेश सिंह सि.सो.
 पद: असिस्टेंट जे.एस.-3
 विभाग: बाली क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला
(कॉलेज)

फार्म (फिनांस 01-01-2018 से 31-12-2018 तक) की स्थिति में

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **पुपन कुमार कुशवाहा**
2. वर्तमान भारत पद **सहायक प्रो. 3**
3. वर्तमान वेतन **27000** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: 4.9.17. इ.भ.ए. 2. **पुपन कुमार कुशवाहा**
 नाम: **पुपन कुमार कुशवाहा**
 पद: **सहायक प्रो. 3-वी.म.**
 विभाग: **शासकीय कौशिक अनुसंधान**
उद्यान

* जहाँ लगा न हो डाटा डीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की आय के प्रचार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरूप दें।

निर्दिष्ट

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2018 की स्थिति में 31-12-2018 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: राजेश सायबवास
2. वर्तमान धारित पर: सहायक शि-लीन

3. वर्तमान वेतन 27000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोले		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोला	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ खाल न हो, काल्पनिक रूप से भरना चाहिए।
** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: सहायक शासकीय सेवक (अन्यथा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित, जो अधि के पत्रों में यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: राजेश सायबवास 28/02/19
नाम: राजेश सायबवास
पद: सहा. शि-लीन
विभाग: शा. शि. सुडगाबाय, स्वा. शि. सुडगाबाय

फार्म 01 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक
की स्थिति में

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/10/2018 पाठ्य

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद 3. वर्तमान वेतन 27000... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-19

अध्यायक ग्रेड-तीन

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरा			

इसका: दीपक पाठ्य 12/03/2019
नाम: दीपक पाठ्य
पद: अध्यायक ग्रेड-तीन
विभाग: शासकीय वैश्वीय मुख्यालय
ववालियर

* जहाँ लागू न हो क्राट देखिए।
** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: राष्ट्रीय शासकीय सेवक (आरएस) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित जी अधिक के पुरचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वास्थ्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में 31/12/2018 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **बनवारी सिंह अस्वरीय**
2. वर्तमान धारित पद: **अध्यक्ष ग्रेड III**
3. वर्तमान वेतन: **₹ 7000** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01/07/2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लोग न हो कट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: नयाप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में या किसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भरा का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा कर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इस्तावर: **बनवारी सिंह / 28/11/19**
 नाम: **बनवारी सिंह**
 पद: **अध्यक्ष ग्रेड III**
 विभाग: **शासकीय संश्लेष्य अनुसंधान**
अवा रिजट

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2018 की स्थिति से 31-12-2018 की स्थिति के ।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... वृन्दी कौटिल
2. वर्तमान भारत पर स्थायिक संस-3
3. वर्तमान चैतन ₹ 70000 = 00 अगली चैतनवृद्धि की तारीख ... 01-07-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योक्ति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योक्ति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर ... Nachar / 01-03/2019
 नाम : ... वृन्दी कौटिल
 पद : ... एस.प्र. सेलियर संस-3
 विभाग : ... एस.प्र. सेलियर

* जहाँ लागू न हो डाट डीपिप।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संप्रदाय शासकीय सेवक (आरक्षण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमि, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महान की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योक्ति दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2018 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2011 अंतराजि
2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ज्यूरि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* जहां खाना न हो क्राफ्ट देखिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ-सहस्रिक की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर

8/8/2019

नाम

श्री 2011 अंतराजि

पद

2011 अंतराजि

विभाग

श्री 2011 अंतराजि

फार्म 01-01-2018 से 31-12-2018 तक
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रिया शर्मा
2. वर्तमान भारत पद सहपाठक गैस-लीन
3. वर्तमान वेतन ₹4000..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				गिरक			

* जहाँ खाली न हो, डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अ.अ.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रत्येक यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर : 28/12/19
 नाम : प्रिया शर्मा
 पद : सहपाठक गैस-लीन
 विभाग : शासकीय कर्मचारी गैस-लीन

[01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक]

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रवि चौधान

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड 17

3. वर्तमान वेतन

19500 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख (01 जुलाई 2019) परिवर्धित

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लगा न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के हददर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Pin

नाम

रवि चौधान

पद

सहायक ग्रेड 17

विभाग

शा. अं. मुं. जवाहरियर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/18 की स्थिति में 31/12/18 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **प्रशांत शर्मा**
2. वर्तमान धारित पद **राशियंत्रिकीय तंत्र**
3. वर्तमान वेतन **19500** ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **परिवर्धित**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लागू न हो, कट दोषिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित आधुनिकीय तंत्र से विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: **Prashant Sharma** 28/12/19
 नाम: **प्रशांत शर्मा**
 पद: **राशियंत्रिकीय तंत्र**
 विभाग: **राशियंत्रिकीय तंत्र, मुंडवा, मुरादाबाद**
उद्यानमर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 28-09-18 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

व्यंजय झाड़्याय

2. वर्तमान शक्ति पर सहा. ग्रेड-तीन

3. वर्तमान वेतन 19500

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

प्रतिवर्षाधीन

उस जिले, उय संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ खान न हो, काल दीर्घ।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अन्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वास्तिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अचल सम्पत्ति के विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर

28-12-18

नाम: धनंजय झाड़्याय

पद: सहा. ग्रेड-तीन

विभाग: शास. क्षेत्रीय मद्रणालय (तवा.)

11/18-31/2/18

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह रहे/रहेंगे/रहेंगी/रहेंगी

3. वर्तमान वेतन 69000

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-19

की स्थिति में

2. वर्तमान भारत पर

कोष/परिधि

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

MIC

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय-सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पालवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महर्षि की अर्पित की अर्पित के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम: कोष/परिधि कोष/परिधि

पद: कोष/परिधि कोष/परिधि

विभाग: कोष/परिधि कोष/परिधि

कोष/परिधि कोष/परिधि

फार्म 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमली बेतनवृद्धि कर्मचारी

2. वर्तमान धारित पद सहायक चयन

3. वर्तमान वेतन 45900... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)

* जहां खाल न हो कोट डीपिचर।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अर्जित की आय के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]

नाम: अमली बेतनवृद्धि कर्मचारी

पद: सहायक चयन

विभाग: सहायक चयन

दिनांक: 01/07/2018

11-1-18 M 31-12-2018

धार्मिक

प्रथम विपुक्ति के समग्र अंशाल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमति श्री ज्ञानेश्वरी**
2. वर्तमान स्थिति का **श्रीमति 2852**
3. वर्तमान वेतन **4610201** --- आरंभिक वेतन **01-7-19**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा आर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा प्योरा	सम्पत्ति से आर्थिक आय	अभिपुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - ज्योत्सिमा ग्राम - खुर्सी मौजा बडागांव खुर्सी ज्योत्सिमा	—	खुर्सी-96	6,00,000/-	स्वयं	खुर्सी, ज्योत्सिमा खुर्सी, ज्योत्सिमा खुर्सी, ज्योत्सिमा	—	—

यहां जगह न हो साट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही-सही विवरण बताना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: संघप्रदेश शासकीय सेवक (आजएन) नियम, 1959 के नियम 48(3) के अंतर्गत प्राप्त भूमि, द्वितीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिगत है कि वह सेवा में रहती विपुक्ति के समग्र और उसके बाद प्रत्येक बार प्राप्त हुए मुहल्ले की अधि के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और स्वयं वह उनके व्यक्तिगत की तथा उसके द्वारा कानून अनुसार उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अंशाल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर: **R. R. R.**
 नाम: **श्रीमति श्री ज्ञानेश्वरी**
 पद: **श्रीमति 2852**
 विभाग: **श्रीमति श्री ज्योत्सिमा**
ज्योत्सिमा

फार्म 1-1-2018 से 31-12-2018 तक
 *प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशोक शर्मा**
 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर गिडर**
 3. वर्तमान वेतन **43500** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		(3)	(4)	(5)	(6)	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

* जहां लाना न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: न्यायद्वारा शासकीय सेवक (आकरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पछुती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की आधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर **S**
 नाम: **अशोक शर्मा**
 पद: **सी. गिडर**
 विभाग: **ए.एस. एफ. डी. अकालियर**

फार्म 01-01-18 से 31-12-18

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (एर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रदीप कुमार जोनवाल 2. वर्तमान धरित पद ए० ई० २१२

3. वर्तमान वेतन ५२२०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-७-१९


उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सर्वोच्च श्रेणी की अधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर:  30/10/18
 नाम: प्रदीप कुमार जोनवाल
 पद: अधीक्षक ई० ई०
 विभाग: आ० वी० वृ० व्वा० वि०

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 2018-19 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री श्री चन्द्र शिवाजी शिवाजी मुहम्मद अली 2. वर्तमान धारित पद जु. पी. डी.

3. वर्तमान वेतन 42500 ... आयु वर्ग 01-7-19 ...

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: राष्ट्रपति शासकीय सेवा (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबका उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: श्री श्री चन्द्र शिवाजी
 नाम: श्री श्री चन्द्र शिवाजी
 पद: जु. पी. डी.
 विभाग: शासकीय अर्थ प्रशासन मुहम्मद अली, मुंबई

फार्म 1-1-2018 से 31-12-2018 तक
 प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मेधा देव
 2. वर्तमान धारित पद जूनियर सीईओ
 3. वर्तमान वेतन 39800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें कल्पनात्मक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पड़ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरने की अवधि के पूरावा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर: MDO
 नाम: मेधा देव
 पद: जूनियर सीईओ
 विभाग: शासकीय मुद्रणालय
 ज्वालियर

फार्म 01-01-18 से 31-12-18

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक को स्थिति में

कॉपी होकर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 34,000

अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-7-19

2. वर्तमान भारत पद

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, टाट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहीन की अवधि के अन्त में यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा कीर्तित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ब्याँ दें।

हस्ताक्षर...
 नाम : सुब्रह्मण्य सिंह राठौर
 पद : कॉपी होकर
 विभाग : शा. व. डी. कु. अ. व्या. म. म.

फार्म

21-31-12-18

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-18 की स्थिति में

कोपी होस्ट

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री शशि नारायण कुशवाह**

2. वर्तमान धारित पद **कोपी होस्ट**

3. वर्तमान वेतन **33100** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-19**...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थिता हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)


निर्बंध

* जहां लागू न हो बात दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्पष्टताएँ पढ़े भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: 
 नाम: **श्री शशि नारायण कुशवाह**
 पद: **कोपी होस्ट**
 विभाग: **शासनिकीय कुशलार्थ**
ववालियर

फार्म 01-01-18 से 31-12-18

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **वाजी सिंह यादव**

2. वर्तमान भारत पद **काँपी डेप्युट**

3. वर्तमान वेतन **29400** आसी वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-19**

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निरीक्षण

इस्ताफा **Y. P. D. D.**
 नाम : **वाजी सिंह यादव**
 पद : **काँपी डेप्युट**
 विभाग : **शासकीय दफ्तर**

* जहाँ लागू न हो, डाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्प्राप्ति वार्षिक आय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहीत की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अर्जित आयों को उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

फार्म (01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)

"प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अतुल इण्डिया** 2. वर्तमान धारित पद **कॉर्पोरेट डीप्टर**

3. वर्तमान वेतन **22600/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई, 2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

* जहाँ खाना न हो, काले रंग में भरें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: न्यायप्रदाय शासकीय सेक्टर (अकराज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पालनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अपनी जो अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इस्तावर: **अतुल**
 नाम: **अतुल इण्डिया**
 पद: **कॉर्पोरेट डीप्टर**
 विभाग: **22170 यो. सु. राज्यालय**

फार्म 01-01-18 से 31-12-18

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

कॉपी होल्डर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सोनू गोडिया

2. वर्तमान भारत पद

3. वर्तमान वेतन 27800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-19

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

असंबंध

इस्तेाकार खरीद गोडिया
 नाम : सोनू गोडिया
 पद : कॉपी होल्डर
 विभाग शासकीय कर्मचारी

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मूहने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित करना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-18 से 31-12-18 तक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रियंका शर्मा
2. वर्तमान धारित पद काँपी डोट्टर
3. वर्तमान वेतन 19,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

जहाँ शीर्षक न हो कट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जिन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में आजीवन नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महर्षि की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: Sharma
 नाम: प्रियंका शर्मा
 पद: काँपी डोट्टर
 विभाग: शास. वी. मुद्र. गवा.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/18-70 की स्थिति में 31/12/18

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : AKASH KOTHARI

COPY HOLDER

2. वर्तमान वेतन : 19500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/01/2020

(1) उप विले, उप संभाग, तापुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(2) सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		(3) भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अधिभूत किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिभूत की तारीख और जिससे अधिभूत की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	(7) सम्पत्ति से वार्षिक आय	(8) अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	शुद्धि						
					Nil			

* जहाँ प्राण न हो डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के तर्जुम प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अधिभूत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर : AKASH KOTHARI
 नाम : AKASH KOTHARI
 पद : COPY HOLDER
 विभागा : D.T.P. Section

फार्म [01, जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक]

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक ... की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शाहूल चौधरी
 2. वर्तमान भाति पद का पी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 19500.00 ₹ D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख (01. जुलाई, 2019) 212000

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भाति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NIL

इस्ताफ़ा (Pehanchary)
 नाम : शाहूल चौधरी
 पद : कापी होल्डर
 विभाग : शासक. क्षे. मु. 03 वासिभर

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : न्यूनतम वेतन सेवा के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक चार सालों की अवधि के परबात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिभूत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भाति संग्रह अथवा सम्पत्ति के खोरे दें।

फार्म (01) जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... राम सिंह (R. Singh) 2. वर्तमान धारित पद ... कर्मचारी

3. वर्तमान वेतन 40800/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01. जुलाई 2019

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें आप्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी दिव्युक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहाने की अधि के पश्चात्, यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इस्ताफ़ा: ...
 नाम: ...
 पद: ...
 विभाग: ...

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 19 को स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **मनोज कुमार बंस**
 2. वर्तमान वेतन 47500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-18
 2. वर्तमान धारित पर की. म. आपरेश


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो क्रॉस चीकिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आ.क.प.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पड़की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
 नाम : मनोज कुमार बंस
 पद : मि. अ. म. आपरेश
 विभाग : शासकीय प्रथम श्रेणी म. प्र. शासकीय व्याजियाट
 215

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2018 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. अशोक कुमार शर्मा 2. वर्तमान भारत पद क्रि. 2. रि. प्र. से. 2. ऑफिसर

3. वर्तमान वेतन 44,800/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* जहां खाल न हो डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: संधारण कालीन पट्टे के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पूरा होने पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तारीखों के साथ उचित अधिष्ठित तारीखों से विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: श्री. अशोक कुमार शर्मा
 पद: क्रि. 2. रि. प्र. से. 2. ऑफिसर
 विभाग: श्री. प्र. प्र. 2. ऑफिसर

फार्म (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक.)

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक A. की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शजिन्द्र कुमार हल्वा
2. वर्तमान धारित पद डी० पी० आर्पेडर
3. वर्तमान वेतन 50200 + DA अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01 जुलाई, 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो तो डेट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्पष्टताएँ पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पड़की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरति की अधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम : शजिन्द्र कुमार हल्वा

पद : डी० पी० आर्पेडर

विभाग : शासन क्षेत्र सुंवा विद्यार

फार्म


*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुबेस राय आर्य (मोनेस्ट्रियर) भारत पर मीनो कारर

3. वर्तमान वेतन 14,500/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो, कट दोषिय।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपनी उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर : 
 नाम : सुबेस राय आर्य
 पद : मीनो कारर
 विभाग : शा. क्षे. मद्रासालम्, मन्सिर।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री माद खीर

2. वर्तमान धारित पद अधीनशास्त्र

3. वर्तमान वेतन 39800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लागू न हो कट दोषिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरति की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबन्दा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर श्री माद खीर

नाम: श्री माद खीर

पद: अधीनशास्त्र

विभाग: अधीनशास्त्र

फार्म 1-1-18-31-12-18
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **लायकराज के** 2. वर्तमान धारित पद **मेनो कारर**

3. वर्तमान वेतन **39800** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-19**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बवाळियर ग्र. खेडिराभल	खसि भूमि				विरासत	-	-

* जहां लगा न हो, क्रांटे दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।


टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रचार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर **लायकराज के**
 नाम: **लायकराज के**
 पद: **मेनो कारर**
 विभाग: **आर.डी.ओ. कारर**

फार्म (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: राजेन्द्र सिंह कश्यप
2. वर्तमान धारित पद: ज्येष्ठ मेजर
3. वर्तमान वेतन: 36500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01 जुलाई 2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

हस्ताक्षर: 
 नाम: राजेन्द्र सिंह कश्यप
 पद: ज्येष्ठ मेजर
 विभाग: शासक संशोधन एवं स्वाभियार

* यहाँ लागू न हो: क्रांट वीथिएर।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आ.आ.एन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31/12/2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अश्विनी कुमार शर्मा
2. वर्तमान धारित पद कॉन्सल्टेंट
3. वर्तमान वेतन 51000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-18

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाएँ कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा खाली।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इस्ताफ़ा: ...
 नाम: अश्विनी कुमार शर्मा
 पद: कॉन्सल्टेंट
 विभाग: शांति-उद्योग-विकास विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में 31/12/18

1. अधिकारी/कर्मचारी का (यूए) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... **अक्षमी खिचर** ... **A.N.M**

2. वर्तमान धारिता पर ...
 3. वर्तमान वेतन ... **38600** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ख्यारी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लागू न हो डाटा खोलिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आजराज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयका उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का बचला सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ... **LSwir**
 नाम : **अक्षमी खिचर**
 पद : **A.N.M**
 विभाग : **शा.उ.क्ष.उ.मु.उ.बो.उ.की**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018 कि

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : ए.एस.ए. (अवरिक्त)
2. वर्तमान भारत पद : इ.एस.2
3. वर्तमान वेतन : 44000 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01-01-19

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संधारित शासकीय सेवक (अन्तरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : [Signature]
 नाम : ए.एस.ए. (अवरिक्त)
 पद : इ.एस.2
 विभाग : शा.उ.प्र.क.सि.सि.डी.डी.डी.
आर.सी.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-18 की स्थिति में 31-12-18 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुरेश कुमार
2. वर्तमान धारित पद सिनिअर इन्सपेक्टर
3. वर्तमान वेतन 38,000/- अगली वेतनबन्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो, त्राट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: सुरेश कुमार
 पद: सिनिअर इन्सपेक्टर
 विभाग: 2110 210 210 210 210
2110 210 210 210 210
2110 210 210 210 210

फार्म 1/1/2018 से 31/12/2018 की स्थिति में

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **एडीश सिनेले**

2. वर्तमान धारित पद **जून कम्योडोर**

3. वर्तमान वेतन **45300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें कल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबही नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आधवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिचार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

इस्तासक **21/12/2018**
नाम: **एडीश सिनेले**

पद: **जून कम्योडोर**

विभाग: **शासकीय कोषिय मुख्यालय**
ग्वालिअर

10/05/2018 31/05/2018

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 28.2.19 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **सुनील कुमार जैन** शा. प्र. भुवनेश्वर कॉलेज शांतिपुर बस्ती
2. वर्तमान वेतन **45300** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 1-7-19**

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो डाटा खोलिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें काल्पनिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति दिवस के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिभूत भयवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त जंचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

इस्ताकर: **80/1/18**
 नाम: **सुनील कुमार जैन**
 पद: **जूनियर कम्पोजीटर**
 विभाग: **शा. प्र. भु. अ. ब. बालीपुर**

फार्म (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **अभिषेक खान**
2. वर्तमान धारित पद : **जुनियर कम्योन्सीयर**
3. वर्तमान वेतन : **A.2.2.00/-** आली वेतनवृद्धि की तारीख : **01 जुलाई 2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

जहां लागू न हो डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आ.अ.एल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के प्रवाप यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : **अभिषेक खान**
 नाम : **अभिषेक खान**
 पद : **जुनियर कम्योन्सीयर**
 विभाग : **शासक संघ 00 मुंबई वाणिज्य**

फार्म (01) 15 वरी 2018 से 31 डिसेंबर 2018 तक

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **श्री अरुण कुमार शर्मा (Arjun Kumar Sharma)** वर्तमान भारत पर **जुड़िगर कंसल्टिंग**

3. वर्तमान चेतन **A2200/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.03.2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				None			

जहाँ लागू न हो डाटा दिये।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्णन दें।

हस्ताक्षर: **Arjun Kumar Sharma**
 नाम: **श्री अरुण कुमार शर्मा**
 पद: **जुड़िगर कंसल्टिंग**
 विभागा: **श्री अरुण कुमार शर्मा**

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीजित अग्रवाल
2. वर्तमान धारित पद जुंजुं कर्मचारी
3. वर्तमान वेतन A.R. 20,000/- आर.सी. वेतनबन्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोले		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा खोले	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NIL

हस्ताक्षर: Shri Jit Agrawal
 नाम: श्रीजित अग्रवाल
 पद: जुंजुं कर्मचारी
 विभाग: श्रीजित कर्मचारी

* जहाँ लागू न हो, काट दोषिये।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: न्युजियरन शासकीय सेवक (आर.सी.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अधि के परवाह यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आषाडी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अमित चौधरी**
 2. वर्तमान धारित पद **उप सहायक**

3. वर्तमान वेतन **A2200/-** अगली वित्तवर्ष की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* जहाँ लागू न हो डाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य अंदाजाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बार महानि की अवधि के परबात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **[Signature]**
 नाम: **अमित चौधरी**
 पद: **उप सहायक**
 विभाग: **210 को डूंगरवाड़ा**

17 मई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉ. अशोक कुमार**

2. वर्तमान धारित पद **ज्य. चरमोडर**

3. वर्तमान वेतन **435.00 / इगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mizz			

* जहाँ लागू न हो डाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : राष्ट्रपति शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहान की अर्पण के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **डॉ. अशोक कुमार**
 नाम: **डॉ. अशोक कुमार**
 पद: **ज्य. चरमोडर**
 दिनांक: **21/05/2018**

फार्म

01-1-2018 31-12-2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2018 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कृष्ण प्रकाश शर्मा 2. वर्तमान धारित पद असिपर अमरा जिर

3. वर्तमान वेतन 42200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्त का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वेषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महोदय की अधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।

हस्ताक्षर: कृष्ण प्रकाश शर्मा

नाम: कृष्ण प्रकाश शर्मा

पद: असिपर अमरा जिर

विभाग: शासकीय प्रशासिक दफ्तर अमरा जिर

1/27/2018 21/11/2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *श्री. अशोक कुमार*
2. वर्तमान धारित पद *डि. असा/डि.र*
3. वर्तमान वेतन *A.T.F.O.E.* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>			

इस्ताफ़ा
 नाम : *श्री. अशोक कुमार*
 पद : *डि. असा/डि.र*
 विभाग : *डि. असा/डि.र*
21/11/2018

* जहां लागू न हो, कट दोबारा।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूखेती, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आबया उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 21-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमर सिंह राजौरिया 2. वर्तमान भारत पर लुधियाना

3. वर्तमान वेतन 39,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

* जहाँ लागू न हो, हाट दोषिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: पञ्जाब देश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहोदर की अधि के पुरवात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयों से विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: अमर सिंह राजौरिया
 नाम: अमर सिंह राजौरिया
 पद: कॉन्स्टेबल
 विभाग: कॉन्स्टेबल, जयपुर

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनुराज कुमार

2. वर्तमान धारित पर्यवेक्षण प्रक. का क्र. 122

3. वर्तमान वेतन 33,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			NIL				

* जहां लागू न हो कट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अ.क.एल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में रकबी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: A. S. J. ...

नाम : अनुराज कुमार

पर : अनुराज कुमार

विभाग : श्री. 2011 तम अ.वा.

फार्म 1/211वर्षी 2018/31 डिसेंबर 2018

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *Arvind Jadhav*
2. वर्तमान धारित पद *सि.डी.ओ.*
3. वर्तमान वेतन *39500/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

nil.

* जहाँ लागू न हो, कट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: राज्यस्तरीय शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत सरकार अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: *21/12/18*
 नाम: *Arvind Jadhav*
 पद: *सि.डी.ओ.*
 विभाग: *सि.डी.ओ.*

फार्म - 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री अशोक कुमार
2. वर्तमान भारत पद : सीनियर असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन : A 7,200 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ जगह न हो, हाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1989 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महतरे की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : श्री अशोक कुमार
 नाम : श्री अशोक कुमार
 पद : सीनियर असिस्टेंट
 विभाग : सीनियर असिस्टेंट

1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Nil

* जहाँ लाना न हो, हाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महतरे की अपाधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आबधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: श्री. अ. अ. अ.
 पद: [Post]
 विभाग: [Department]

15/7/2018 # 31/5/2018

फार्म प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान भारत पद

705 5927

3. वर्तमान वेतन A72000 / अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* यहाँ खाली न हो ऋट दोषिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन भूदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधि प्राप्त तथा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।

हस्ताक्षर
नाम :
पद :
विभाग :

फार्म
 1-7-2019 का 31 डिसेंबर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो Yashraj Singh 2. वर्तमान भांति पर श्रीधर मन्डल

3. वर्तमान वेतन Alc 2019 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
				Nil.		

* जहां लागू न हो काल्पनिक।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में संभागा मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें काल्पनिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: यद्यपि शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्राप्त भूमी तथा पूर्णतः श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित भूमा असे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इस्ताफा Yashraj Singh
 नाम : Yashraj Singh
 पद : ...
 विभाग : ...

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ... *S/S 491* ... 2. वर्तमान धारित पद ... *सिनिपर मशीनिस्ट*

3. वर्तमान वेतन *A1000/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>			

* जहाँ लागू न हो क्राट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महर्षि की अर्पि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: *[Signature]*
 नाम: *S/S 491*
 पद: *[Signature]*
 विभाग: *S/S 491*

फार्म 127918/2018 13/11/2018

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन 39800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के विषय 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यहीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह इनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

रस्ताकार : 2149 23/03

नाम : 2149 23/03

पद : 2149 23/03

विभाग : 2149 23/03

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 18 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **विद्यार्थी/वाल बिशन**

2. वर्तमान धारित पर स्वी.स. क्र. नं. : **1.7.20.19**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		

* जहां जगह न हो कूट रोजिपट्ट।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आन्तरिक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी तथा वृत्तीय भूमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के परचाए याह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के बर्णों दें।

इस्सालर : **9.3.19**
 नाम : **विद्यार्थी/वाल बिशन**
 पर : **डी. स. प्रिन**
 विभाग : **शां.सं. पु. उच्चालिया**
 म. 5

1377797 2018-19 31/12/2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 39,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

2. वर्तमान धारित पद

साहित्य परीक्षक

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो, हाट चीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहौल की आगति के प्रकाश में प्रवृत्ति करे और उसमें वह उनके स्वास्थि की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: [Name]
 पद: [Post]
 विभाग: [Department]

फार्म 15 नवंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनोंक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जिम् दायर नारायण
 2. वर्तमान भारत पर भारतीय मूल्य

3. वर्तमान वेतन 38600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: पञ्जाब प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानिरीक्षक की अधि के परचाएँ यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत सरकार अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम: जिम् दायर नारायण

पद: अधिकारी

विभाग: आर. डी. अजयनगर
आ. डी.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 18 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... **भुवाधर सिन्हा** ... 2. वर्तमान धारित पर **श्री. ए. जे. जैन**

3. वर्तमान चेतन **38660** / - अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश सार्वजनिक सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खोरे दें।

हस्ताक्षर **भुवाधर सिन्हा**
 नाम : **भुवाधर सिन्हा**
 पर : **श्री. ए. जे. जैन**
 विभाग : **आ. सं. पु. स्वा. वि. वि.**
21.5

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 1981 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

आरिन्द नरवरिया

2. वर्तमान धारित पद

सी. प्र. डी. न

3. वर्तमान वेतन

35600.00 - अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लगा न हो हाट चीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: राष्ट्रीय न्यायिक सेवा (अ.अ.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही निर्धारण के अधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधि अधि उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

रस्ताकार : ...
 नाम : आरिन्द नरवरिया
 पद : सी. प्र. डी. न
 विभाग : सी. प्र. डी. न

1 अगस्त 2018 से 31 अगस्त 2018

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : यु.के. शर्मा

2. वर्तमान वेतन : 38600

3. वर्तमान वेतन : 38600

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

अहां खाली न हो जाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संसर्पित शासकीय सेवक (अभ्यर्थण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर: यु.के. शर्मा
 नाम: यु.के. शर्मा
 पद: ...
 विभाग: ...

फार्म 1/21/19/1/2018/14 31/12/19/1/2018

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *अमित कुमार*
2. वर्तमान भारत पर *अमित कुमार*
3. वर्तमान वेतन *38600/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>			

* जहां लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाले यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: *अमित कुमार*
 नाम: *अमित कुमार*
 पद: *अमित कुमार*
 विभागा: *अमित कुमार*

फार्म 107971 2018 का 31 डिसेंबर 2018

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अभिषेक कुमार 41/1/1117
2. वर्तमान धारित पद : अभिषेक कुमार 41/1/1117
3. वर्तमान वेतन : A22000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा और		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	समय से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां तक न हो काल दोहरिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्दर में साधारण मूल्य उतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

इस्सारा : अभिषेक कुमार
 नाम : अभिषेक कुमार
 पद : अभिषेक कुमार
 विभाग : अभिषेक कुमार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम सिंह / जवानमार्थ सिंघ

2. वर्तमान भारत पर सी. नं. 3018

3. वर्तमान वेतन 36200/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठान की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* यहाँ लागू न हो, कूट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहोपार्जन की अधि के पुरचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर
 नाम : राम सिंह / जवानमार्थ
 पद : सी. नं. 3018
 विभाग : आ. नं. 3018, जवानमार्थ
 म. 5

1979/2018 A 31/3/2008/2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पर

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया- ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां लागू न हो कूट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के स्वरूप में दें।

इस्ताफ़ा
नाम: *[Signature]*
पद: *[Signature]*
विभाग: *[Signature]*

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 18 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजादीरा खडीवा

2. वर्तमान वेतन : 35160/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

3. वर्तमान धारित पर घुंम. प्र.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहाँ लागू न हो बात दीजिए।

** ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सशस्त्र प्रदेश सार्वजनिक सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबका उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : अजादीरा खडीवा

नाम : अजादीरा खडीवा

पर : घुंम. प्र.

विभाग : अ.प्र. वि. मु. अ. वि. वि. वि.

प. 5

1577वर्ष 2018 स 31 डिसेंबर 2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन . 35160/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख . 1-7-2019

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	(5)	(6)	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

इस्ताफा : 25/12/18 31/12/18
 नाम : ...
 पद : ...
 विभाग : ...

* जहां खालू न हो कूट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें कल्पनात्मक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आबदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या अधिकार पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 अक्टूबर 1980 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अशोक वर्मा

2. वर्तमान धारित पद

ए.ए.सी. में

3. वर्तमान वेतन 34100/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो क्राट देखिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पच्चीस (25) दिनों के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा धारित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: अशोक वर्मा
 नाम: अशोक वर्मा
 पद: ए.ए.सी. में
 विभाग: ए.ए.सी. में स्वावलंब
 21.5

12/07/2018 31 दिसम्बर 2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन
 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

Mitig 9/11/18
 3A1001-1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोद		उस किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोद	समय से वार्षिक आय	अभिपुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है			
				Nil			

जहाँ खालू न हो डाट दोषिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: पञ्चप्रदेश शासकीय सेवक (आ.आ.एन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मूहति की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और इसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: [Name]
 पद: [Post]
 विभाग: [Department]

फार्म 1/1/2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **रमेश कुमार पन्नालाल** 2. वर्तमान भारत पर **उपभोग में**
 3. वर्तमान वेतन **3A160/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				15			

हस्ताक्षर: **रमेश कुमार**
 नाम: **रमेश कुमार**
 पद: **उपभोग में**
 विभाग: **शा.स. वि. 2910**

* जहाँ लागू न हो: काट डीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत सरकार अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

15/07/2018 31/12/2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 31/12/2017 2. वर्तमान भारतीय पद 31/12/2017
3. वर्तमान वेतन S.A.1800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां खाल न हो काल्पनिक

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मर्यादा की अधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: 31/12/2018
 नाम: 31/12/2018
 पद: 31/12/2018
 विभाग: 31/12/2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 1959 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **नारायण राव आंधव** 2. वर्तमान धारित पद **जु. म. स. स. न.**

3. वर्तमान वेतन **35,100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धरती की अधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह इनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के खीर दें।

इलाका: **नारायण राव आंधव**
 नाम: **नारायण राव आंधव**
 पद: **जु. म. स. स. न.**
 विभाग: **आ. व. उ. स्वा. वि. म. उ.**
५१५

फार्म (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)

***प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अनिल कुमार/पुत्र पातीशाम** 2. वर्तमान धारित पद **जुंमं मैन**

3. वर्तमान चेतन **32200** 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई, 2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

* जहाँ लागू न हो डाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें कल्पनात्मक पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अ.ब.र.ल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यत्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानिरीक्षण की अधि के परचाएँ यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आकषा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त आकषा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **अनिल कुमार**
 नाम: **अनिल कुमार/पातीशाम**
 पद: **जुंमं मैन**
 विभाग: **शासक संक्षेप सं. इवालिबर**

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमर अश्विनी
2. वर्तमान धारित पद एग्जिस्टिंग
3. वर्तमान वेतन 32,100/- आसी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोले		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोले	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NIL

* जहाँ लागू न हो डाट डीपिड।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सरुति की अधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित आचना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खोले दें।

हस्ताक्षर... [Signature]
 नाम: अमर अश्विनी
 पद: एग्जिस्टिंग
 विभाग: राज्य प्रशासनिक सेवा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 18 की स्थिति में 31 दिसम्बर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मिहेबा/लोकरमन

2. वर्तमान शरितः पद

जु० म० म० न

3. वर्तमान वेतन 33100.00 - अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: राष्ट्रपति शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही तारीख के पुराना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शरित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: मिहेबा/लोकरमन
 नाम: मिहेबा/लोकरमन
 पद: जु० म० म० न
 विभाग: 2710410 यु० स्वाक्षिप्त
 म।पु

फार्म 1577 का अंश 3/15 अक्टूबर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान भारत पद *जुनियर मॉडलर*

युवा विलेन एम 4

3. वर्तमान वेतन 32100/- आर. वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Mil.

* जहाँ लागू न हो, हाट बीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य उक्तताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आगामी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : *MR. J. R. P. H.*
 पद : *...*
 विभाग : *...*

फार्म (01) पत्रावली 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... रवि प्रकाश कुलकर्णी
2. वर्तमान भारत पर ... अजमेर मधीन मेन
3. वर्तमान वेतन B2/100+D.A. आगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.10.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योम		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इसका रवि प्रकाश
 नाम: रवि प्रकाश कुलकर्णी
 पद: अजमेर मधीन मेन
 विभाग: 21-डी: मु: उ.वा.वि.म

* जहाँ लागू न हो, हाट दोषिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अ.अ.एन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आभवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योम दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में 01.12.2018,

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **श्रीराम अकशाल**
2. वर्तमान धारित पद: **अधीनस्थ**
3. वर्तमान वेतन: **₹ 34,000** - अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01.07.2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: **श्रीराम अकशाल**
 नाम: **श्रीराम अकशाल**
 पद: **अधीनस्थ**
 विभाग: **श्रीराम अकशाल**

* जहां लागू न हो क्रांति दीर्घिपू।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह भवेद्विगत है कि वह सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक माह महीने की अवधि के परचाय या शोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

फार्म 1 जनवरी 2018 अ-31 दिसम्बर 2018

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डा. रवि 2. वर्तमान भारत पर डुमिया, मध्या प्रदेश

3. वर्तमान वेतन 33,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा च्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा च्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>Nil</u>			

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के च्यौर दें।

हस्ताक्षर: [Signature]

नाम: डा. रवि

पद: डुमिया, मध्या प्रदेश

विभाग: डा. रवि, मध्या प्रदेश

डुमिया, मध्या प्रदेश

फार्म / 31/10/2018 31/10/2018

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *AP/CI/07 4/07*
2. वर्तमान धारित पद *उपनिवेश अधिकारी*
3. वर्तमान वेतन *33100/-* - अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योमि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठान की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा व्योमि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>		

* जहां जगह न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरिने की अधि के परचाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित आपदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योमि दें।

हस्ताक्षर
 नाम: *AP/CI/07 4/07*
 पद: *उपनिवेश अधिकारी*
 दिनांक: *31/10/2018*

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 1981 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... **सलीम खान**

2. वर्तमान वेतन 33100/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य उतलिया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश रासकीय सेवक (अनुरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आधारा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: **सलीम खान**
 नाम: **सलीम खान**
 पद: **जु. म. म. न**
 विभाग: **शा.सं. पु. अ. अ. अ.**

फार्म (01) जगवरी 2018 के 31 डिसेंबर 2018 तक की स्थिति में

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **अशोक कुमार / प्रचारक** 2. वर्तमान धारित पद **जु. मशीन मैन**
 3. वर्तमान वेतन **32280/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01. जुलाई 2019**

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो: फोटो खींचें।
 ** ऐसे मामले हैं जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: न्यायप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही अर्जित की अवधि के परचाएँ यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खोरे हैं।

इस्तावर: 31.12.18 तक **अशोक कुमार**
 नाम: **अशोक कुमार**
 पद: **जु. मशीन मैन**
 विभाग: **जु. मशीन मैन**

फार्म 01-01-2018 से 31-12-2018 तक
 *प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अचलेश कुमार शर्मा
2. वर्तमान धारित पद जूनियर मशीन मैन
3. वर्तमान वेतन 35400/- आली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

यहां नाम न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य उतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: न्यायप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अर्ध के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर अचलेश कुमार शर्मा
 नाम: अचलेश कुमार शर्मा
 पद: जूनियर मशीन मैन
 विभाग: आरक्षण विभाग मुंबई
स्वाक्षर (मो.प्र.)

17/11/2018 का 31/12/2018

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

7/6/2008

3. वर्तमान वेतन Dr. A.C.V. आगती वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

2. वर्तमान धारित पद

उपस्थित महापौर

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)





Nil

* जहाँ लागू न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के परचाते यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: 
 नाम: 
 पद: 
 विभाग: 

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 19 को स्थिति में 21 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्री अशोक शिंदे

2. वर्तमान धारित पद (पूर्व) का नाम

3. वर्तमान वेतन : 30 Acd / आयुक्त वेतनवर्ग की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लाना न हो, हाट बीजप।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राश्वतीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चवीं नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आध्या उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : श्री अशोक शिंदे

पद : 30 Acd

विभाग : 2710 हॉ. ए. के. आलिखल
34 6

1/27/2018/3/1/2018

फार्म

प्रथम निपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान भारत पद

3. वर्तमान वेतन 295000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* यहाँ लागू न हो, डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्की निपुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयों को उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: [Name]
 पद: [Post]
 विभाग: [Department]

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रिजर्व्ड क्लर्क 2. वर्तमान धारित पद सी० वी० ५१०७२

3. वर्तमान वेतन 39800 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाहये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				N/A		

* जहां लागू न हो क्राट देखिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: R. K. MANI
 नाम: रिजर्व्ड क्लर्क
 पद: सी० वी० ५१०७२
 विभाग: सी० वी० ५१०७२

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **श्रीकेश्वर शर्मा**
2. वर्तमान भारतीय नगरपालिका/विशेष शासक
3. वर्तमान वेतन **39,600** ... आर्य समाज की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा खींचिए।

** ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: पञ्जाब प्रदेश राज्यपाल सेवा (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जाबी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **श्रीकेश्वर शर्मा**
 नाम: **श्रीकेश्वर शर्मा**
 पद: **निरीक्षक बिहार**
 विभाग: **श्रीतं शंठ कृष्णबिहार**

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **पुनिलिय डेवरा**
2. वर्तमान भांति पद **उप. एडिटर**
3. वर्तमान वेतन **39800** आगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भांति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			MILL				

* जहां जगह न हो डाटा दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागूभा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मूहाने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा भांति समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **पुनिलिय डेवरा**
 नाम: **पुनिलिय डेवरा**
 पद: **उप. एडिटर**
 विभाग: **श्रीवाहनो एडिटर**

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-18 की स्थिति में 31-12-18**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शोहन लाल वर्मा** 2. वर्तमान धारित पद **जुजियर वॉर्ड-SC**

3. वर्तमान वेतन **39800/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>			

* जहां जगह न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्वकारणीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरिचि की अवधि के परबात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित भवना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम **शोहन लाल वर्मा**

पद **जुजियर वॉर्ड-SC**

विभाग **शा.वे. प्रहणालय भवामि**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-12-2018 को स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रहा है (सर्वोच्च सेवा) अं. 0812052
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन . 38400/- अथवा वेतनवृद्धि की तारीख . 1.7.2019

उस जिले, उप-भाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ज्यूरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्योर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				MIL			

* यहाँ लागू न हो, फोटो जोड़िए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लाभाभाज मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (अ.न.र.न.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधिनियम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अर्जित की अर्थात् के परचाह यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आबना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्णों दें।

इलाका: 21-12-2018
 नाम: रामचन्द्र मेवारी
 पद: अ. 0812052
 विभाग: शा. 0812052

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आनंद सैज** 2. वर्तमान धारित एवं **जुनीयर आर्किटेक्ट**

3. वर्तमान वेतन **37,300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

* जहाँ खाना न हो, ऊँट चोखिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य उतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश सार्वजनिक सेवा (अभिलेख) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार-परीक्षा की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर: **आनंद सैज**
 नाम: **आनंद सैज**
 पद: **जुनीयर आर्किटेक्ट**
 विभाग: **श्री. डी. सुरेणालय, वर्धा जिल्हा**

11 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अजय सोनवालक

3. वर्तमान वेतन 39,860.00 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2019

2. वर्तमान धारित पद

उप-विकासी

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ख्यार		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ख्यार	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो डाट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आजकल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में गणनी निर्दोषता के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महर्षि की अवधि के परवात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और इसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ख्यार दें।

हस्ताक्षर: अजय सोनवालक
 नाम: अजय सोनवालक
 पद: उप-विकासी
 विभाग: अजय सोनवालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1.1.2018 को स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अयमराज भगत 2. वर्तमान धारित पद सू० 012052

3. वर्तमान वेतन 37800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आयुक्तिका	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अभ्यर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की आधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर

नाम : अयमराज भगत

पद : सू० 012052

विभाग : खारासकीय क्षेत्रीय कुदवालय
ठवाळियर

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
 398001 आगती वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019
2. वर्तमान धारित पर एच.ए.ए.ओ.सी.
3. वर्तमान वेतन 398001 आगती वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो: कट बीडिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के विधाय 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अधि के पत्रों पर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर: अशोक शर्मा
 नाम: अशोक शर्मा
 पद: एच.ए.ए.ओ.सी.
 विभागा: ए.ए.ओ.ओ.ओ.ओ.ओ.

17/07/2018 से 31/08/2018 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 28/2/2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री. श्री. अ. अ. अ.
2. वर्तमान धारित पद : असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन : 35200 T.D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खोले		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोला	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

इसकावर : श्री. अ. अ. अ.
 नाम : श्री. श्री. अ. अ. अ.
 पद : असिस्टेंट
 विभाग : श्री. श्री. अ. अ. अ.

* जहाँ लागू न हो डाटा डोबिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें कल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आ.अ.अ.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानिरीक्षण के परिचय के परचायत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अधिग्रहित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री चंद्र शर्मा
2. वर्तमान धारित पद ज्यो. ए. डी. 052
3. वर्तमान वेतन 37,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, चंपक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सांगना मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में शामिल नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या भूक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

हस्ताक्षर: श्री चंद्र शर्मा
 नाम: श्री चंद्र शर्मा
 पद: ज्यो. ए. डी. 052
 विभाग: 210 ज्यो. ए. डी. 052

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शिवान 316**
2. वर्तमान भारत पर **CPY 081205C**
3. वर्तमान वेतन **3A100/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो कूट-रीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आ.आ.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर: **श. श. शिवान**
 नाम: **शिवान 416**
 पद: **CPY 081205C**
 विभाग: **शिवान 416**

16 नवंबर 2018 के 31 दिसंबर 2018 के

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुरेश चंद्रा
2. वर्तमान धारित पद जूनियर असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन 31000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौत		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौत	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर सुरेश चंद्रा
 नाम : सुरेश चंद्रा
 पद : जूनियर असिस्टेंट
 विभाग : डी.टी.ओ. ऑफिस

* जहाँ लागू न हो काल सही।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संप्रदाया शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए, यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौत दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 2018 की स्थिति में 3। दिनांक 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

जोपाल दाम वार्धम

2. वर्तमान धारित पद

जूनियर-वॉरंट

3. वर्तमान वेतन 3A 18420 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा खींचिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में राजकीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहित की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

जोयति इन्द्रक व्यास

नाम : जोपाल दाम वार्धम

पद : जूनियर वॉरंट

विभाग : आ. हो. उ. संवर्धक

1 जनवरी 2018 के 31 डिसेंबर 2018 तक

फार्म
 *प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेश अशोक
2. वर्तमान धारित पद उप निदेशक
3. वर्तमान वेतन 34,100/- ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Nice				

जहाँ लागू न हो कूट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मर्यादे की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: नरेश अशोक
 नाम: नरेश अशोक
 पद: उप निदेशक
 विभाग: 2110 कोच मुख्यालय

16 नवंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : IST SHARMA 276
2. वर्तमान भारत पर : IST SHARMA 276
3. वर्तमान वेतन : 30A.6.10.1 - अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा च्यौरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा च्यौरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ खाल न हो झट्ट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (आरक्षण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष वर्तमान की अधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरी दें।

इस्ताफा IST SHARMA
 नाम : IST SHARMA 276
 पद : IST SHARMA 276
 विभाग : IST SHARMA 276

16 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनों की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **SACTISH YASHI** 2. वर्तमान धारित पद **जुनो वी.एस.ई.**

3. वर्तमान वेतन **3A.100** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: **SACTISH YASHI**
 नाम: **SACTISH YASHI**
 पद: **जुनो वी.एस.ई.**
 विभाग: **श्री 70 वी.एस.ई. 110**

* जहां लागू न हो ऊपर दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: यूपए प्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का बतला सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

11/2018 से 31/12/2018 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2100 सिरे आहोर

उत्प 915-83

वर्तमान धारित पद

1-7-2019

वर्तमान वेतन 32100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निक			

हस्ताक्षर : 11/10/18
 नाम : 2100 सिरे आहोर
 पद : उत्प 915-83
 विभागा : 2100 सिरे आहोर 2910

* जहाँ जगह न हो कट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आजराए) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमी तथा पूर्वीय भूमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह भवोक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पूर्ववात् यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

एबीए 241

की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद

एयु वीडिओ

3. वर्तमान वेतन 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : नम्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चालू नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: H. J. J. J.
 नाम: एबीए 241
 पद: एयु वीडिओ
 विभाग: एयु वीडिओ

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीजिंद शर्मा / Civil Engineer
2. वर्तमान धारित पद Executive Engineer
3. वर्तमान वेतन 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: श्रीजिंद शर्मा H.I.S. 23/1/18
 नाम: श्रीजिंद शर्मा / Civil Engineer
 पद: Executive Engineer
 विभाग: श्रीजिंद शर्मा

* जहाँ लागू न हो कट दोजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साभा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

1 June 2018 to 31 December 2018

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जी शाह 241
2. वर्तमान भारिता पद उप निदेशक
3. वर्तमान वेतन 35,600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारिता है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इस्तावर 30/12
 नाम : जी शाह 241
 पद : उप निदेशक
 विभाग : 2110 ग्रो ऑफ डेप्यो

* उहां लागू न हो डाट डोजिए।
 ** ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आजराज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यत्नपूर्वक नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मूहने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 1981 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **अशोक राजक**
 2. वर्तमान भाति पर **पु. वारंट**
 3. वर्तमान वेतन **34100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भाति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इस्तावर... **अशोक**
 नाम : **अशोक राजक**
 पर : **पु. वारंट**
 विभाग : **आ. ई. सु. सेवा विभाग**
म. 5

* जहाँ लागू न हो वहाँ खींचिए।
 ** ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अञ्चल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भाति समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म (01) जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक ... की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... की स्थिति में
2. वर्तमान भारत पर ...
3. वर्तमान वेतन 35100-4-0-0 ...

उस जिले, उच्च संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ खाल न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी विद्युत् बिजली के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: द्वितीय श्रेणी अधिकारी
 नाम: दि. कीप. सोनोहाकर
 पद: जूजिगर वरिष्ठ
 विभाग: शा. व. सु. 24/1/2018

14/07/2018 31/07/2018

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 28/7/19 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : 2. वि. सं. क्र. 3725/13 ... 217-22-57-10876 2. वर्तमान धारित पद : 020-2572
3. वर्तमान वेतन : 34,100 + 70 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2019

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		

* यहाँ खाल न हो, खाल दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महतरे की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आयवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : *[Signature]*
 नाम : 217-22-57-10876
 पद : 020-2572
 विभागा : 217-22-57-10876

1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 28.2.2018 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... **राजेश सुब्बा (श.ब.) शा.क्ष.अ.उ. वर्तमान स्थिति पर प्र.वा.ल.अ.उ.**
3. वर्तमान वेतन **34,100.00** डा.पि.अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई -1-7-19**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत आबधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर ... **R. gaur** ...
 नाम : **राजेश सुब्बा (श.ब.)**
 पद : **अभियुक्त**
 विभाग : **शा.क्ष.अ.उ. प्र.वा.ल.अ.उ.**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में 31-12-2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनिल चंद्र मिश्रा
2. वर्तमान धारित पद जुनियर असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन DOA 2010 / दिल्ली वेतनबन्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ख्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ख्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

* जहाँ लागू न हो, हाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: संप्रदाय शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहों की आधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ख्यौरे दें।

हस्ताक्षर अनिल चंद्र मिश्रा
 नाम: अनिल चंद्र मिश्रा
 पद: जुनियर असिस्टेंट
 विभाग: शासन, डी० डी० २०१४

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-18**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार

2. वर्तमान धारित पद जु. वि. वि. वि. वि.

3. वर्तमान वेतन 31,300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो डाटा डोजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आजएल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर अशोक कुमार
 नाम: अशोक कुमार
 पद: जु. वि. वि. वि. वि.
 विभाग: श्री. इ. क. यु. वि. वि. वि. वि.

10 Nov 2018 31/12/2018

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 28/2/19 की स्थिति में"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अनाम प.व. 12... 27: 28: 29... 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 134: 135: 136: 137: 138: 139: 140: 141: 142: 143: 144: 145: 146: 147: 148: 149: 150: 151: 152: 153: 154: 155: 156: 157: 158: 159: 160: 161: 162: 163: 164: 165: 166: 167: 168: 169: 170: 171: 172: 173: 174: 175: 176: 177: 178: 179: 180: 181: 182: 183: 184: 185: 186: 187: 188: 189: 190: 191: 192: 193: 194: 195: 196: 197: 198: 199: 200: 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 211: 212: 213: 214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 243: 244: 245: 246: 247: 248: 249: 250: 251: 252: 253: 254: 255: 256: 257: 258: 259: 260: 261: 262: 263: 264: 265: 266: 267: 268: 269: 270: 271: 272: 273: 274: 275: 276: 277: 278: 279: 280: 281: 282: 283: 284: 285: 286: 287: 288: 289: 290: 291: 292: 293: 294: 295: 296: 297: 298: 299: 300: 301: 302: 303: 304: 305: 306: 307: 308: 309: 310: 311: 312: 313: 314: 315: 316: 317: 318: 319: 320: 321: 322: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 329: 330: 331: 332: 333: 334: 335: 336: 337: 338: 339: 340: 341: 342: 343: 344: 345: 346: 347: 348: 349: 350: 351: 352: 353: 354: 355: 356: 357: 358: 359: 360: 361: 362: 363: 364: 365: 366: 367: 368: 369: 370: 371: 372: 373: 374: 375: 376: 377: 378: 379: 380: 381: 382: 383: 384: 385: 386: 387: 388: 389: 390: 391: 392: 393: 394: 395: 396: 397: 398: 399: 400: 401: 402: 403: 404: 405: 406: 407: 408: 409: 410: 411: 412: 413: 414: 415: 416: 417: 418: 419: 420: 421: 422: 423: 424: 425: 426: 427: 428: 429: 430: 431: 432: 433: 434: 435: 436: 437: 438: 439: 440: 441: 442: 443: 444: 445: 446: 447: 448: 449: 450: 451: 452: 453: 454: 455: 456: 457: 458: 459: 460: 461: 462: 463: 464: 465: 466: 467: 468: 469: 470: 471: 472: 473: 474: 475: 476: 477: 478: 479: 480: 481: 482: 483: 484: 485: 486: 487: 488: 489: 490: 491: 492: 493: 494: 495: 496: 497: 498: 499: 500: 501: 502: 503: 504: 505: 506: 507: 508: 509: 510: 511: 512: 513: 514: 515: 516: 517: 518: 519: 520: 521: 522: 523: 524: 525: 526: 527: 528: 529: 530: 531: 532: 533: 534: 535: 536: 537: 538: 539: 540: 541: 542: 543: 544: 545: 546: 547: 548: 549: 550: 551: 552: 553: 554: 555: 556: 557: 558: 559: 560: 561: 562: 563: 564: 565: 566: 567: 568: 569: 570: 571: 572: 573: 574: 575: 576: 577: 578: 579: 580: 581: 582: 583: 584: 585: 586: 587: 588: 589: 590: 591: 592: 593: 594: 595: 596: 597: 598: 599: 600: 601: 602: 603: 604: 605: 606: 607: 608: 609: 610: 611: 612: 613: 614: 615: 616: 617: 618: 619: 620: 621: 622: 623: 624: 625: 626: 627: 628: 629: 630: 631: 632: 633: 634: 635: 636: 637: 638: 639: 640: 641: 642: 643: 644: 645: 646: 647: 648: 649: 650: 651: 652: 653: 654: 655: 656: 657: 658: 659: 660: 661: 662: 663: 664: 665: 666: 667: 668: 669: 670: 671: 672: 673: 674: 675: 676: 677: 678: 679: 680: 681: 682: 683: 684: 685: 686: 687: 688: 689: 690: 691: 692: 693: 694: 695: 696: 697: 698: 699: 700: 701: 702: 703: 704: 705: 706: 707: 708: 709: 710: 711: 712: 713: 714: 715: 716: 717: 718: 719: 720: 721: 722: 723: 724: 725: 726: 727: 728: 729: 730: 731: 732: 733: 734: 735: 736: 737: 738: 739: 740: 741: 742: 743: 744: 745: 746: 747: 748: 749: 750: 751: 752: 753: 754: 755: 756: 757: 758: 759: 760: 761: 762: 763: 764: 765: 766: 767: 768: 769: 770: 771: 772: 773: 774: 775: 776: 777: 778: 779: 780: 781: 782: 783: 784: 785: 786: 787: 788: 789: 790: 791: 792: 793: 794: 795: 796: 797: 798: 799: 800: 801: 802: 803: 804: 805: 806: 807: 808: 809: 810: 811: 812: 813: 814: 815: 816: 817: 818: 819: 820: 821: 822: 823: 824: 825: 826: 827: 828: 829: 830: 831: 832: 833: 834: 835: 836: 837: 838: 839: 840: 841: 842: 843: 844: 845: 846: 847: 848: 849: 850: 851: 852: 853: 854: 855: 856: 857: 858: 859: 860: 861: 862: 863: 864: 865: 866: 867: 868: 869: 870: 871: 872: 873: 874: 875: 876: 877: 878: 879: 880: 881: 882: 883: 884: 885: 886: 887: 888: 889: 890: 891: 892: 893: 894: 895: 896: 897: 898: 899: 900: 901: 902: 903: 904: 905: 906: 907: 908: 909: 910: 911: 912: 913: 914: 915: 916: 917: 918: 919: 920: 921: 922: 923: 924: 925: 926: 927: 928: 929: 930: 931: 932: 933: 934: 935: 936: 937: 938: 939: 940: 941: 942: 943: 944: 945: 946: 947: 948: 949: 950: 951: 952: 953: 954: 955: 956: 957: 958: 959: 960: 961: 962: 963: 964: 965: 966: 967: 968: 969: 970: 971: 972: 973: 974: 975: 976: 977: 978: 979: 980: 981: 982: 983: 984: 985: 986: 987: 988: 989: 990: 991: 992: 993: 994: 995: 996: 997: 998: 999: 1000

3. वर्तमान वेतन : 33800 + D.A. आगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1.7.2019

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा और		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोटा	समय से अधिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

जहाँ खाल न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें कल्पनात्मक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आ.ब.र.न.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आबदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिचार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त आबदा सम्पत्ति के व्यौा दें।

हस्ताक्षर: अनाम प.व. 12
 नाम: अनाम प.व. 12
 पद: को: 31/12/2018
 विभागा: 317 को: 31/12/2018